कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया।

(जिला भू–अर्जन कार्यालय)

प्रपत्र–VI

समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता–सह– समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम–30/2013 की धारा– 11 (1) के अधीन)

चूँकि समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–रामपुर उर्फ रहीमपुर, थाना–परबत्ता, थाना सं0–373, अंचल–परबत्ता, जिला–खगड़िया में कुल–12.21 एकड़ भूमि सार्वजनिक परियोजन यथा सुलतानगंज (भागलपुर जिला) अगुआनी घाट (खगड़िया जिला) के बीच गंगा नदी पर पुल एवं संपर्क पथ निर्माण हेतु अपेक्षित है, अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम–रामपुर उर्फ रहीमपुर, थाना–परबत्ता, थाना सं0–373, अंचल–परबत्ता, जिला– खगड़िया में आद्री, बोरिंग रोड, पटना से प्राप्त सामाजिक प्रभाव आकलन (एस0 आई0 ए0) की विशेषज्ञ समूह द्वारा मूल्यांकन किया गया। विशेषज्ञ समूह द्वारा मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि विषयांकित परियोजना की क्रियान्वयन हेतु भू–अर्जन लोक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है तथा परियोजना से होने वाले लाभ प्रतीयमान क्षति की सापेक्षता में अधिक है। अतः प्रस्तावित भूमि का अर्जन किये जाने की अनुशंसा सर्वसम्मति से की गई है। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 12.21 एकड़ मानक माप का भूखंड जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है

Pseudity 07/12/2017

क्र0	खाता सं0	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)
01	02	03	04	05	06	07	08
01	10	197	केवाला/ खतियानी/ लगान रसीद	सिंचित	1.55	सेठ सिंह पिता स्व0 सहजानंद सिंह सा0 डुमरिया बुजुर्ग	उ0– सि0 सियादपुर अगुवानी द0– नीज पू0– सुनील सिंह प0–धीरेन्द्र सिंह
02		196	केवाला/ खतियानी/ लगान रसीद	सिंचित	0.99	सेठ सिंह पिता स्व0 सहजानंद सिंह सा0 डुमरिया बुजुर्ग	उ0– नीज द0– राजीव मिश्र पू0– सुनील सिंह प0–सुमन सिंह
03	39	197	केवाला/ खतियानी/ लगान रसीद	सिंचित	1.65	सुनील सिंह पिता सहजानंद सिंह ग्राम डुमरिया बुजुर्ग,	उ0– सि0 सिआदतपुर अगुआनी द0– नीज पू0– अखिलेश सिंह प0–सेठ सिंह
04		196	केवाला/ खतियानी/ लगान रसीद	सिंचित	0.97	सुनील सिंह पिता सहजानंद सिंह ग्राम डुमरिया बुजुर्ग,	उ0– नीज द0– राजीव मिश्र पू0– चंदन सिंह प0–सेठ सिंह
05	44	191	केवाला/ खतियानी/ लगान रसीद	सिंचित	0.21	धीरेन्द्र ना0 सिंह पिता सहजानंद सिदेवेन्द्र नारायण ग्राम डुमरिया बुजुर्ग,	उ0– नीज द0– सुमन सिंह पू0– सेठ सिंह प0–नीज
06		196	केवाला/ खतियानी/ लगान रसीद	सिंचित	0.02	सुमन कुमार पिता स्व0 उमेश सिंह ग्राम डुमरिया बुजुर्ग,	उ0– धीरेन्द्र सिंह द0– नीज पू0– सेठ सिंह प0–नीज

07		195	केवाला / खतियानी / लगान रसीद	सिंचित	2.05	राजीव मिश्र वो संजीव मिश्र वो नरोतम मिश्र पिता स्व0 सत्यदेव मिश्र ग्राम डुमरिया बुजुर्ग,	उ0– सेठ सिंह द0– सि0 टेमथा करारी पू0– किंकर मिश्र प0–खेसरा 195
08		199	केवाला / खतियानी / लगान रसीद	सिंचित	0.20	राजीव मिश्र वो संजीव मिश्र वो नरोतम मिश्र पिता स्व0 सत्यदेव मिश्र ग्राम डुमरिया बुजुर्ग,	उ0– सुनील सिंह द0– सि0 तेमथा करारीपू0– किंकर मिश्र प0–नीज
09		186	केवाला / खतियानी / लगान रसीद	सिंचित	1.21	चन्दन सिंह पिता जर्नादन प्रसाद सिंह ग्राम डुमरिया बुजुर्ग,	उ0– अखिलेश मिश्र द0– किंकर मिश्र पू0– मनोज सिंह प0–सुनील सिंह
10	39	197	केवाला / खतियानी / लगान रसीद	सिंचित	1.88	अखलेश सिंह पिता नागेश्वर प्रसाद सिंह ग्राम डुमरिया बुजुर्ग,	उ0– नीज द0– चंदन सिंह पू0– नीज प0–सुनील सिंह
11	10	196	केवाला / खतियानी / लगान रसीद	सिंचित	0.20	मनोज सिंह पिता तारणी सिंह ग्राम डुमरिया बुजुर्ग,	उ0– नीज द0– किंकर सिंह पू0– नीज प0–चंदन सिंह
12	45	199	केवाला / खतियानी / लगान रसीद	सिंचित	1.28	किंकर मिश्र वो दीवाकर मिश्र वो रामदेअल मिश्र पिता कपिलदेव मिश्र ग्राम डुमरिया बुजुर्ग,	उ0– चंदन सिंह द0– सि0 तेमथा करारी पू0– नीज प0–राजीव मिश्र

यह अधिसूचना भू–अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा– 11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। समाहर्त्ता–सह– समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एंव यथाविनिर्दिष्ट कार्यो के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यो के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया और उनके कर्मचारी श्री आनन्द प्रकाश राम, कानुनगों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा – 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोइ विल्लगत उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा– 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बावत किसी प्रकार की आपतियाँ हितबद्व व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

समाहर्त्ता,
खगड़िया

ज्ञापांक 536 /भू–अ0, दिनांक 5-12-17

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक भू–अर्जन, निदेशालय, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक सूचना एवं जनसर्म्पक विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि दो दैनिक समाचार पत्रों में स्थानीय भाषा में प्रकाशन कराने का कष्ट करें।
4. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, खगड़िया को जिला गजट के अगले असधारण अंक में प्रकाशनार्थ एंव प्रकाशित जिला गजट की बीस–बीस प्रतियाँ इस कार्यालय को एवं जिला भू–अर्जन कार्यालय को भेजने हेतु प्रेषित।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (एन0आई0सी0), खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि वेबसाईट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेगें।
6. कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पथ प्रमंडल, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया। 5/12